

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
122 / 2025

दायर दिनांक  
05.03.2025

निर्णय दिनांक  
05.03.2025

1. श्री लालूराम पुत्र एकलिंग दमामी, निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थी

बनाम

1. चांदी पुत्री चेना जाट, निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. नोसर पत्नी लादूलाल जाट, निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. प्रेम पत्नी माधुलाल जाट, निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. राजी पत्नी रामेश्वर जाट, निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. शंकरी पत्नी देवीलाल जाट, निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. सुगना पत्नी डालू जाट, निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. लादूलाल पुत्र नानूराम खटीक, निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा।
8. डालचन्द पुत्र लक्ष्मण ब्राह्मण, निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाडा।
9. राधा देवी पत्नी स्व० छोगा ब्राह्मण, निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

— विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी श्री पृथ्वीराज चौधरी उपस्थित।  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर०एल०आर एक्ट :-  
—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सांगवा पटवार हल्का सांगवा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) के आराजी नम्बर 1329/3 रकबा 0.1897 हैक्टर, आराजी नम्बर 147/2 रकबा 1.3277 हैक्टर, आराजी नम्बर 804/3 रकबा 1.4921 हैक्टर, आराजी नम्बर 804/5 रकबा 0.0253 हैक्टर कुल किता 04 रकबा 3.0348 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम सांगवा पटवार हल्का सांगवा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज0) के आराजी नम्बर 1329/3 रकबा 0.1897 हैक्टर, आराजी नम्बर 147/2 रकबा 1.3277 हैक्टर, आराजी नम्बर 804/3 रकबा 1.4921 हैक्टर, आराजी नम्बर 804/5 रकबा 0.0253 हैक्टर कुल किता 04 रकबा 3.0348 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05.06-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चण्डावत)  
तहसीलदार अधिकारी  
भीलवाडा  
भीलवाडा